# तेज बारिश से रतलाम स्टेशन जलमग्न

**09** डैम के गेट खुल गए

**26** जिलों में बारिश का अलर्ट

**भोपाल, 4 सितम्बर. मध्यप्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है. इंदौर, उज्जैन, रतलाम समेत कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है. इंदौर में लगातार बारिश से कान्ह नदी का जलस्तर बढ़ गया. कृष्णपुरा पुल के पास दो लोग फंस गए, जिन्हें निगम और पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया.**

उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर है. प्रशासन ने लोगों को घाटों से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी है. रतलाम में हालात गंभीर हैं . रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पानी में डूब गया है. जनता कॉलोनी, पीएंडटी कॉलोनी और जवाहर नगर में पानी भर गया है. पलसोड़ा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिससे लोगों का घरेलू सामान बर्बाद हो गया. महू के पास कालाकुंड में चोरल नदी भी उफान पर है. इसी नदी में एक युवक तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है.

लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रदेश के 9 बड़े डैमों के गेट खोल दिए गए हैं.

इनमें इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम (खंडवा) के 21-21, बरगी (जबलपुर) के 15, यशवंत सागर (इंदौर) और मड़ीखेड़ा (शिवपुरी) के 6-6, धोलावाड़ (रतलाम) के 5, तवा (इटारसी) के 3, हलाली (रायसेन) और कालाभाटा (मंदसौर) के 2-2 गेट शामिल हैं.

### मौसम का अनुमान

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 26 जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास और सीहोर में 8 इंच तक बारिश की संभावना है. इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच और ग्वालियर-चंबल अंचल के कई जिलों में भी तेज बारिश के आसार हैं. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश पर निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इससे मध्य और पश्चिमी जिलों में अगले 48 घंटों तक झमाझम बारिश जारी रह सकती है. प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों, डैम और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है.

# उमंग सिंघार करेंगे आदिवासी अस्मिता की रक्षा

विशेष संवाददाता

**भोपाल, 04 सितम्बर. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है.**

मीडिया से बातचीत में सिंघार ने कहा कि आदिवासी परंपराएँ, रीति-रिवाज और आस्था हजारों वर्षों से चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं. संविधान ने भी अनुच्छेद 244, 275 और पाँचवीं अनुसूची के तहत उनकी विशिष्ट पहचान को मान्यता दी है.

उन्होंने लविस्वर मांझी बनाम प्रण मांझी (2000), डॉ. सुरजमणि स्टेला कुजुर बनाम दुर्गा चरण हांसदा (2001) और

ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (2013) जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार आदिवासी परंपराओं और अधिकारों को विशेष दर्जा दिया है.

### सिंघार के बयान से बवाल, भाजपा ने घेरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माताजी को लेकर दिये बयान का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस ने एक और बड़ा मुद्दा भाजपा को दे दिया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासियों को हिंदुओं से अलग बताने के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नया बवाल हो गया है. भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया है और इस बहाने कांग्रेस को घेर लिया है. मोर्चा केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने संभाला है. कांग्रेस को आईना दिखाया है. उनका साथ भाजपा अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेन्द्र पटेल और सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने भी दिया है. भारत सरकार के मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान तथ्यों और प्रमाणों रहित तथा अज्ञानता पर आधारित है. वास्तव में जनजातीय समाज हिंदू धर्म में रचा-बसा है. जनजातीय समाज के लोग भगवान महादेव के वंशज, पूजक और आराधक रहे हैं. अधिकांश गोंड राजाओं के किलों में मां काली और भगवान महादेव के मंदिर आज भी मिलते हैं. भगवान राम ने जनजातीय समाज की माता शबरी के झूठे बेर खाकर उन्हें सम्मानित किया था., तो महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम ने जनजातीय समाज की बहन हिडिंबा से विवाह किया. उनके पुत्र घटोत्कच हुए और उनके बर्बरीक की खाटू श्याम जी के रूप में पूजा-अर्चना की जाती है.

# झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मृत्यु की जांच के आदेश

**खरगोन, 04 सितंबर. बलकवाड़ा स्थित शासकीय छात्रावास में निवासरत कक्षा ग्यारहवीं के आदिवासी छात्र की कथित तौर पर झोलाछाप चिकित्सक से उपचार के उपरांत मृत्यु के मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं.**

जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि कक्षा ग्यारहवीं के 17 वर्षीय छात्र सुरेश की मंगलवार देर रात मृत्यु की आदिवासी विकास विभाग से आंतरिक जांच के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस इस मामले की मूल रूप से जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि घटना के उपरांत बलकवाड़ा के सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास के वार्डन जितेंद्र मंडलोई को हटा दिया गया है, साथ ही कथित डॉक्टर का क्लीनिक सील कर उससे आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं.

वहीं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन इकबाल हुसैन आदिल ने बताया कि महेश्वर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी मामले की जांच कर तीन दिन में प्रतिवेदन सौंपेंगे. खरगोन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम एस सिसोदिया ने बताया कि कथित डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया है, और कसरावद के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस के दल ने उसके क्लीनिक की जांच कर दवाइयां जब्त कर पंचनामा बनाया गया है.

# वन मंडल ने 100 हेक्टेयर का हटाया अतिक्रमण

**पन्ना,04 सितम्बर.मुख्य वन संरक्षक वन वृत छतरपुर नरेश यादव एवं वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना गर्वित गंगवार के निर्देशन तथा उपवनमंडल अधिकारी विश्रामगंज अंशुल तिवारी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी अजयगढ़- पंकज दुबे, के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा अब तक की सबसे बडी कार्यवाही को अंजाम दिया.**

वनपरिक्षेत्र अजयगढ़ की बीट मझपटिया के वनकक्ष क्रमांक पी-212 वन खंड बीरा की वन भूमि में काबिज अवैध अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर लगभग 100 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त करा कर उक्त क्षेत्र में सी.पी.टी.खुदाई कराकर क्षेत्र की घेराबंदी सुनिश्चित की गई. उत्तर वन मंडल की अभी तक ये सबसे बडी कार्यवाही मानी जा रही है. उक्त वन भूमि में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है. वृक्षारोपण हो जाने पर वन, पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. डीएफओ उत्तर वन मंडल गर्वित गंगवार द्वारा उक्त कार्यवाही के लिए अजयगढ़ रेंज टीम को बधाई दी.

# माही बांध स्थल के सड़क मार्ग को तैयार करेगा जल संसाधन विभाग

**धार, 04 सितंबर. मध्यप्रदेश को गुजरात से जोड़ने वाला धार जिले के सरदारपुर-बदनावर मार्ग से गुजर रहे माही मुख्य बांध स्थल का सड़क मार्ग बेहद बदहाल स्थिति में पहुंचने के बाद अब जल संसाधन विभाग ने इसे बनाने की तैयारी की है, हालांकि विभाग को इसके लिए अभी राजधानी भोपाल से मंजूरी मिलने का इंतजार है.**

ये मार्ग धार को पड़ोसी जिले झाबुआ के रास्ते फिर गुजरात से भी जोड़ता है. साथ ही विश्व प्रसिद्ध झाबुआ जिले के तारखेड़ी धाम मंदिर तक पहुंचने के लिये भी ये सुगम मार्ग है.

इस मार्ग के जर्जर होने के चलते जल संसाधन विभाग ने लगभग नौ करोड़ की लागत का एक आंकलन भोपाल स्थित संचालनालय को भेजा है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इस मार्ग की बदहाली दूर हो सकेगी.

झाबुआ जिले की सीमा में स्थित ग्राम कोठडा तक मार्ग डामरीकृत होकर मार्ग पर यातायात सुगम है, लेकिन धार जिले की सीमा स्थित मार्ग गड्ढों में तब्दील होकर बदहाल हो चुका है.

सूत्रों के अनुसार इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हस्तांतरित करने के लिए करीब एक वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग ने पत्राचार किया था, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं हुई, ऐसे में अब जल संसाधन विभाग ने इसे नये सिरे से बनाने का विचार किया है.

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार ने बताया कि करीब 7 किमी लंबे सिंगल पट्टी मार्ग के लिये लगभग 9 करोड़ का आंकलन विभाग ने भोपाल भेजा है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे बनाया जायेगा. मार्ग निर्माण के बाद यदि इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत या लोक निर्माण विभाग इसे लेना चाहेगा तो उसे हैंड ओवर करने पर भी विचार किया जायेगा, ताकि मार्ग की समय-समय पर मरम्मत होती रहे.

### उपभोक्ता फोरम ने कलेक्टर को तलब किया

**सागर.** जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सागर ने बकाया राशि वसूली के प्रकरण में जिला कलेक्टर को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जावे. परिवादी की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ठाकुर ने पैरवी की. नरेंद्र सिंह कुशवाहा निवासी पीपरा तहसील राहतगढ़ जिला सागर ने एग्रीकलचर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडियन लिमिटेड क्वालिटी ग्लोबल भोपाल और भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाइन तथा मप्र शासन द्वारा कलेक्टर सागर के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में प्रकरण रखा था.

जिसमें बकाया राशि वसूली के लिए विपक्षी तीन को हिसाब के विवरण की प्रति सहित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लगातार विपक्षी तीन की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत बकाया राशि के विवरण के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका.


CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

## कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.

सर्किल ऑफिस पता : 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

### मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित. नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (उक्त उधारकर्ता(ओं)) को, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋ ण समझौते के तहत देय है. ऋ ण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं.

| स. क्र. | उधारकर्ता/गारंटर का नाम | मांग सूचना तिथि और राशि | सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | (ऋण खाता संख्या LNHLIN4000059372 (पुराना) 51500000740163 (नया) (खंडवा शाखा) LNHE30234LX300025361 (पुराना) 51100001019791 (नया) (इंदौर शाखा) श्री अरविंद वर्मा पुत्र श्री तुलसी राम (ऋणी) श्रीमती अनीता वर्मा पत्नी श्री अरविंद वर्मा (सह-ऋणी) | 11-8-2025 रु. 21,38,832/- (11-8-2025 तक) | भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा- मकान संख्या 56, वार्ड संख्या 14, पटवारी हल्का संख्या 4/1, ग्राम-महूगाँव, गायकवाड़ मोहल्ला, तहसील-महू, जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश-453441, निम्नलिखित सीमा- उत्तर- विजय पुत्र तुलसीराम वर्मा का मकान, दक्षिण- आम रास्ता, पूर्व- नुन्ना यादव का मकान, पश्चिम- रणजीत पुत्र तुसीराम वर्मा का मकान. |
| 2. | (ऋण खाता संख्या LNHLKHD000029750 (पुराना) 50300000842332 (नया) (खंडवा शाखा) श्री बबलू बाबूलाल सियो श्री बाबूलाल जाट (ऋणी) श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी श्री बब्लू बाबूलाल (सह-उधारकर्ता) | 7-8-2025 रु. 9,61,753/- (2-8-2025 तक) | भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा- पंचायत रजिस्टर संख्या 29, वार्ड संख्या 05, ग्राम-कोगवान, तहसील-महेश्वर, जिला-खरगौन, मध्य प्रदेश-451225 पर आवासीय संपत्ति/भूखंड/मकान, निम्नलिखित सीमा- उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- शैलेंद्र डालूराम की भूमि, पूर्व- विष्णु प्यारेलाल का मकान, पश्चिम- नरसिंह बालू का प्लॉट. |
| 3. | (ऋण खाता संख्या LNHLMND000109411 (पुराना) 51300000899388 (नया) (मंदसौर शाखा) श्री दीपक दास रामावत (उधारकर्ता) श्रीमती कुसुमिता दास (सह-उधारकर्ता) | 7-8-2025 रु. 15,23,381/- (2-8-2025 तक) | भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल मकान संख्या 119, वार्ड संख्या 10, कुल क्षेत्रफल 1620 वर्ग फुट (अर्थात 150.56 वर्ग मीटर) है. पटवारी हल्का संख्या 7, ग्राम धत्रवाड़ा, तहसील जावरा और जिला रतलाम, मध्य प्रदेश - 457336 में स्थित है. सीमाएँ- उत्तर- विष्णु दास जी का मकान, दक्षिण- रास्ता, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- ईश्वर दास जी की ज़मीन. |
| 4. | (ऋण खाता संख्या LNHEMND000100203 (पुराना) 51100000586582 (नया) LNHLMND000033624 (पुराना) 51200000885272 (नया) (मंदसौर शाखा) श्री दिलीप कुमार दमामी (उधारकर्ता) सुश्री संगीता दमामी, श्री कपिल कुमार दमामी (सह-उधारकर्ता) | 7-8-2025 रु. 8,10,635/- (2-8-2025 तक) | भूमि और भवन सहित आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 937.5 वर्ग फुट (87.05 वर्ग मीटर) है, वार्ड संख्या 15, पी.एच. नं. 11, सर्वेक्षण संख्या 1974 के भाग में स्थित, ग्राम-नारायणगढ़, तालुका मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश 458553, निम्नलिखित सीमाएँ- उत्तर- राजू माली का प्लॉट, दक्षिण- विक्रेता की ज़मीन, पूर्व- सड़क, पश्चिम- ओमजी जाट की ज़मीन. |
| 5. | (ऋण खाता संख्या LNHLUJN000066814 (पुराना) 50300000955955 (नया) (उज्जैन शाखा) श्री गोपाल सिंह (उधारकर्ता) श्रीमती राधा कुंवर (सह-उधारकर्ता) | 16-8-2025 रु. 3,51,418/- (13-8-2025 तक) | संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, मकान संख्या 3217, भूमि क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट। 41.82 वर्ग मीटर, पीएच संख्या 34, ग्राम सुंदरशी, तहसील गुलाना (पुराना) पोलायकला (नया), जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश 465113, सीमा इस प्रकार है- उत्तर- सड़क, दक्षिण- मौबारिक का मकान, पूर्व- मालिक की ज़मीन, पश्चिम- गली और मौबारिक का मकान. |
| 6. | (ऋण खाता संख्या LNHLKHD000062665 (पुराना) 50300000852548 (नया) (खंडवा शाखा) श्री कैलाश भिलाला (उधारकर्ता) श्रीमती सुनीता भिलाला (सह-उधारकर्ता) | 11-8-2025 रु. 14,60,935/- (2-8-2025 तक) | ड्रीम लैंड सिटी कॉलोनी में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल खसरा 25/2, प्लॉट संख्या 256, 600 वर्ग फुट, पीएच संख्या 42, पालिका क्षेत्र वार्ड संख्या 13, चंद्रशेखर वार्ड, ग्राम और तहसील सनावद, जिला खरगौन, मध्य प्रदेश 451111, सीमा इस प्रकार है- उत्तर- अन्य लोगों की ज़मीन/प्लॉट, दक्षिण- प्लॉट संख्या 255, पूर्व- अन्य लोगों की ज़मीन/प्लॉट, पश्चिम- सड़क. |
| 7. | (ऋण खाता संख्या LNHLSHJ000038221 (पुराना) 50300000943667 (नया) LNHESHJ000050225 (पुराना) 51100000612046 (नया) (शुजालपुर शाखा) श्री मानसिंह जाटव, (उधारकर्ता) श्री लोकेश जाटव, श्री गोविंद जाटव, श्रीमती नीतू बाई जाटव, श्रीमती उर्मिला जाटव, श्रीमती रीनाबाई जाटव, (सह-उधारकर्ता) श्री गोविंद सेन बिजाना (गारंटर) | 11-8-2025 रु. 14,39,597/- (11-8-2025 तक) | संपत्ति का वह टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन है, जो सर्वेक्षण संख्या 422/मिन-04, पीएच संख्या 28, प्लॉट संख्या 39, भूमि क्षेत्र 790.5 वर्ग फीट पर स्थित है (अर्थात, 73.46 वर्ग मीटर), वार्ड क्रमांक 15, ग्राम भूगोर, आनंद नगर कॉलोनी, विवेकानंद स्कूल के पास, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465333, निम्नलिखित सीमा- उत्तर- डॉ. राम प्रसाद जी शास्त्री की भूमि, दक्षिण- अन्य का प्लॉट क्रमांक 38, पूर्व- सड़क, पश्चिम- सलीम खां की भूमि. |
| 8. | (ऋण खाता संख्या LNHLNEE000037594 (पुराना) 51200000827148 (नया) (नीमच शाखा) श्री नागेश नायक पुत्र श्री राधेश्याम नायक (उधारकर्ता) श्रीमती लाली बाई पत्नी श्री नागेश नायक, श्री राधेश्याम नायक पुत्र श्री शिव राम नायक, श्रीमती सुगना बाई नायक पत्नी श्री राधेश्याम नायक, श्री अर्जुन नायक पुत्र स्व. राधेश्याम नायक (सह-उधारकर्ता) | 7-8-2025 रु. 3,65,549/- (2-8-2025 तक) | संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं- आवासीय मकान क्रमांक 52, वार्ड क्रमांक 13, पटवारी हल्का क्रमांक 23, ग्राम एवं ग्राम पंचायत- देवरी खवासा, तहसील-मनासा, जिला- नीमच, मध्य प्रदेश-451225 में स्थित, निम्नलिखित सीमा- उत्तर- सड़क, दक्षिण- प्रकाश पाटीदार की भूमि, पूर्व- देवीलाल नायक, पश्चिम- मुकेश नायक. |
| 9. | (ऋण खाता संख्या LNHLKHD000095895 (पुराना) 51900000857047 (नया) (खंडवा शाखा) श्री राज सराठे (उधारकर्ता) श्रीमती निर्मला बाई सराठे (सह-उधारकर्ता) | 14-8-2025 रु. 10,90,868/- (2-8-2025 तक) | आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, प्लॉट क्रमांक 186 पाइका, शीट नंद विहार कॉलोनी में मकान संख्या 4, अंबेडकर वार्ड संख्या 9, गली संख्या 2, बंदोबस्त संख्या 3, क्षेत्रफल 455 वर्ग फुट, तहसील-खंडवा, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश-450001, सीमा- उत्तर- स्वयं की भूमि, दक्षिण- 15 फीट रोड, पूर्व- श्री अशोक मराठा का मकान, पश्चिम- विक्रेता का शेष मकान. |
| 10. | (ऋण खाता संख्या LNHLAGA000053883 (पुराना) 50300000609119 (नया) (आगर मालवा शाखा) श्री विजय पाटीदार (उधारकर्ता) श्री हंशराज पाटीदार, श्रीमती भगवती बाई पटेल उपनाम श्रीमती भगवती बाई पाटीदार (सह-उधारकर्ता) | 7-8-2025 रु. 3,40,776/- (6-8-2025 तक) | संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन है, आवासीय मकान संख्या 141, क्षेत्रफल 456 वर्ग फुट (42.37 वर्ग मीटर), वार्ड संख्या 06, पी.एच. नं. 36, ग्राम ठिकरिया, तहसील नलखेड़ा, जिला शाजापुर (आगर मालवा), मध्य प्रदेश 465445 में स्थित, उत्तर में- आम सड़क, दक्षिण में- रामप्रसाद जी का मकान, पूर्व में- मोहनलाल जी का मकान, पश्चिम में- सड़क. |
| 11. | (ऋण खाता संख्या LNHLALT000068894 (पुराना) 50300000605337 (नया) (आलोट शाखा) श्री यशवंत सिंह (उधारकर्ता) श्री मंगल सिंह सिसोदिया, श्री भोम सिंह राजपूत, श्रीमती बाल कुंवर राजपूत (सह-उधारकर्ता) | 7-8-2025 रु. 7,64,786/- (6-8-2025 तक) | भूमि और भवन सहित आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, मकान संख्या 182, क्षेत्रफल 7020 वर्ग फुट (652.41 वर्ग मीटर), पटवारी हल्का संख्या 9, ग्राम माल्या ताल, तहसील - आलोट, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश -457118 में स्थित, उत्तर में- सड़क, दक्षिण में- चेन सिंह जी का मकान, पूर्व में- शंभू सिंह जी का मकान, पश्चिम में- विक्रम सिंह जी का मकान. |
| 12. | (ऋण खाता संख्या LNHLKHA000104280 (पुराना) 51200000803579 (नया) LNHLKHA000113398 (पुराना) 51200000804391 (नया) (खरगौन शाखा) श्री विकास भाबर (उधारकर्ता) श्रीमती जसमा बाई भाबर, श्रीमती अरुणा (सह-उधारकर्ता) | 19-8-2025 रु. 21,35,489/- (6-8-2025 तक) | भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, प्लॉट संख्या 39, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.93 वर्ग मीटर) सर्वे संख्या 120, 121/1, 122/2, 122/3, 123/4, वृंदावनधाम टाउनशिप फेस III, वार्ड संख्या 05 संजय वार्ड, ग्राम- गुलझारा धामनोद, तहसील- धरमपुरी, जिला- धार, मध्य प्रदेश- 454552 में स्थित, निम्नलिखित सीमाएँ- उत्तर- प्लॉट संख्या 40, दक्षिण- प्लॉट संख्या 38, पूर्व- कॉलोनी रोड, पश्चिम- प्लॉट संख्या 94. |
| 13. | (ऋण खाता संख्या LNHLKHA000072185 (पुराना) 50300000799255 (नया) (खरगौन शाखा) श्री सुभाष निंगवाले (उधारकर्ता) श्रीमती रंगीता जाधव (सह-उधारकर्ता) | 21-8-2025 रु. 3,50,555/- (6-8-2025 तक) | भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, ग्राम धनोरा, ग्राम पंचायत धनोरा, पीएच संख्या 10 पैकी में मकान संख्या 136 सहित, 500 वर्गफीट क्षेत्रफल में फैला है, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश-451666, सीमा- पूर्व में - श्री मालू का प्लॉट, पश्चिम में - श्री मुकेश का प्लॉट, उत्तर में - श्री अंकुश की जमीन, दक्षिण में - सड़क. |

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी. उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत पूर्वोक्त परिसंपत्तियों को सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा.

स्थान : इन्दौर — एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांक : 5/9/2025 — कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए



## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

### वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57712095 | संपत्ति के बदले ऋण | 08.08.2025 | 4,64,511.93/- |

**उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम:** 1. सुनील गुर्जर 2. टीना सुनील

**संपत्ति का पता:** एक मंजिला आरसीसी निर्मित मकान का वह पूरा टुकड़ा पंचायत अभिलेखों के अनुसार, यह मकान संख्या 93 (तिरानबे) के अंतर्गत, ग्राम मालाखेड़ी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन में स्थित है। मकान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर 25 (पच्चीस) फीट और दक्षिण से उत्तर की ओर 36 (छत्तीस) फीट है, जिससे कुल क्षेत्रफल 900 (नौ सौ) वर्ग फीट है। 83.64 (तिरासी दशमलव छह चार) वर्ग मीटर, और, इस प्रकार घिरा हुआ: पूर्व: खाली जगह, पश्चिम: सार्वजनिक सड़क, उत्तर: मदनलाल का घर, दक्षिण: कमल सिंह का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 05.09.2025 — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड

स्थान: मध्यप्रदेश — के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)



CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

## कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनि